UPJL010010532026

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 118/2026
नितेन्द्र उर्फ माता प्रसाद राजपूत प्रति

राज्य उत्तर प्रदेश
मुकदमा अपराध संख्या 695/2025
धारा–109,352,115(2), बी.एन.एस. 2023
थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन।

16.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त नितेन्द्र उर्फ माता प्रसाद राजपूत पुत्र धनप्रसाद निवासी ग्राम गुटकवारा, थाना जरिया, जिला हमीरपुर की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 695/2025 धारा 109, 352, 115(2), भारतीय न्याय संहिता 2023, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के प्रकरण में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में कारागार में निरूद्ध है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा सम्बन्धित पत्रावली का परिशीलन किया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा कृष पुत्र रामसहोदर की ओर से दिनांक 01.12.2025 को थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन में इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि दिनांक 30.11.2025 को समय 8:20 बजे वह एवं उसका दोस्त अनुज कोरी धर्मशाला तुफैलपुरवा के पास बातें कर रहे थे, तभी सत्तू उर्फ सतेन्द्र अपने साथी विक्रम राजपूत, गोलू राजपूत व गौरव 2–3 मोटरसाइकिलों से आये और थोड़ी दूरी पर खड़े अंशुल से अचानक गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे, जब अंशुल ने उनका विरोध किया तो सतेन्द्र उर्फ सत्तू और गोलू ने अपने पास रखे तमंचा से जान से मारने की नीयत से अंशुल के ऊपर फायर कर दिया, वह नीचे बैठ गया, जिससे वह बाल–बाल बच गया। अंशुल के शोर मचाने पर वादी के पास बैठा अनुज, अंशुल को बचाने के लिए दौड़ा तो सतेन्द्र उर्फ सत्तू ने तमंचा से उसको निशाना बनाते हुए जान से मारने की नीयत से अनुज के सीने में गोली मार दी, जिससे वह घायल होकर गिर गया, तब यह लोग अपने–अपने हाथ में लिये तमंचा लहराते हुए एवं हवाई फायरिंग करते हुए वहॉ से भाग गये। वह अनुज और अंशुल को घायल अवस्था में उपचार हेतु मेडिकल कालेज उरई ले गया, जहॉ पर उन दोनों की गम्भीर स्थिति को देखते हुए डाक्टर ने उन्हें कानपुर रेफर कर दिया है। उपरोक्त तहरीर के आधार पर दिनांक 01.12.2025 को ही समय 1:42 बजे थाना कोतवाली उरई में अपराध संख्या 695/2025 पर धारा 109, 352, 115(2) भारतीय न्याय संहिता 2023, के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में इस आशय का अभिकथन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त को रंजिश के कारण फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। सहअभियुक्त के बयानों के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा न तो मारपीट की गई है और न ही फायर किया गया है। सहअभियुक्त तारा उर्फ विक्रम राजपूत की जमानत दिनांक 27.01.2026 को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। पूरी

Digitally signed by Suresh Kumar Gupta
Date: 2026.05.01 08:27:23 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विवेचना में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रार्थी/अभियुक्त घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित था। उपरोक्त आधारो पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गई है।

5. राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गई है।

6. पत्रावली पर उपलबध केस डायरी, थाने की आख्या एवं अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त के ऊपर यह आरोप नहीं है कि उसके द्वारा अंशुल या वादी के ऊपर फायर किया गया हो। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त नामजद नहीं है। उक्त प्रकरण में सहअभियुक्त ताराचन्द्र उर्फ विक्रय राजपूत की जमानत सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 27.01.2026 को स्वीकृत की जा चुकी है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त की भूमिका जमानत पर छोड़े गये सहअभियुक्त के समान होना बतायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 16.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त नितेन्द्र उर्फ माता प्रसाद राजपूत पुत्र धनप्रसाद निवासी ग्राम गुटकवारा, थाना जरिया, जिला हमीरपुर की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 695/2025 धारा 109, 352, 115(2), भारतीय न्याय संहिता 2023, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 118/2026, स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मुव0 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान धनराशि की दो जमानते संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर उसे जमानत पर छोड़ा जाए।

दिनांक–16.03.2026

(सुरेश कुमार गुप्ता)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
जालौन स्थान उरई।
जे.ओ. कोड यू.पी.–2414